श्रेष्ठ प्रविष्टि

(दिनांक 24 - 30 अगस्त, 2024)

प्रश्नः सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आपदाओं और विपत्तियों पर रिपोर्टिंग करते समय फुटेज पर 'दिनांक और समय' की मुहर लगाने के लिए निजी टीवी चैनलों के लिए एक सलाह जारी की है. क्या आपको लगता है कि यह पहल दर्शकों के बीच भ्रम और घबराहट को प्रभावी ढंग से कम करेगी?

हरदिल नूर सिंह साहनी
गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली

सामान्य जनमानस विभिन्न स्रोतों, विशेष रूप से दृश्य मीडिया के माध्यम से आपदाओं के बारे में सुनकर पहले से ही परेशान है. कई बार समाचार चैनल आपदा के बारे में पुरानी वीडियो क्लिप चलाते हैं और इसे वर्तमान आपदा के रूप में चित्रित करते हैं. ऐसा कई बार समाचार को सनसनीखेज बनाने और अनुचित TRP हासिल करने के लिए किया जाता है. इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की नई पहल और इसके कई लाभ हैं:

1. यह कदम आपदा स्थल पर वास्तव में क्या हुआ है, यह दिखाकर दर्शकों के बीच भ्रम और घबराहट को कम करेगा.
2. यह पहल विशेष रूप से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आपदाओं के बारे में उत्पन्न होने वाली फर्जी खबरों की मात्रा को कम करने में मदद करेगा.
3. इससे पीड़ितों के रिश्तेदारों को आश्वासन मिलेगा वे सही तथ्यों से परिचित होंगे.
4. इससे NDMA और SDMA को स्थिति का बेहतर आकलन करने और आपदा से लड़ने और जीवन बचाने के लिए समुचित संसाधनों का उपयोग करना है, इसकी पहचान करने में भी मदद मिलेगी.
5. इससे सरकार को यह पहचानने में भी मदद मिलेगी कि आपदा प्रबंधन के लिए किन हितधारकों से परामर्श करना है और साथ ही सही रणनीति योजना बनाने में भी मदद मिलेगी.

आपदाएं कभी-कभी अपरिहार्य होती हैं लेकिन बेहतर आपदा विमोचन के लिए यह परिकल्पना की गई थी कि हम आपदाओं की रिपोर्टिंग करते समय मानवीयता अपनाएं. सरकार का वर्तमान कदम सही दिशा में उठाया गया एक कदम है, हमें सभी हितधारकों से आग्रह करना चाहिए कि वे इन निर्देशों का पालन करें.

अन्य श्रेष्ठ प्रविष्टियां:

- **के.आर. कीर्ति डिंडीगुल, तमिलनाडु**
- **दीपिका शर्मा फरीदाबाद, हरियाणा**